सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‌वारा प्रकाशित

11 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 622 राँची, शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

25 जुलाई, 2019

संख्या-5/आरोप-1-85/2015 का०- 5960-- श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-360/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर, गुमला के विरूद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-1987/गो०, दिनांक 13.10.2005 द्‌वारा प्रपत्र-'क' में आरोप उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध जलधारा योजना के तहत कूप निर्माण एवं इन्दिरा आवास निर्माण में अनियमितता बरतने, अवैध तरीके से विश्व बैंक द्‌वारा प्रायोजित सिचाई कूप की स्वीकृति देने, अवैध तरीके से लाखों रूपये का कार्य कराने तथा अनाधिकृत रूप से सरकारी कर्मी को 50 वर्ष की उम्र सीमा पार करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी आदेश पारित करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2096 दिनांक 11.04.2008 के द्‌वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्‌वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-408/गो०, दिनांक 09.12.2010 के द्‌वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह के बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखो के समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-1940, दिनांक 27.02.2012 द्वारा "दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक", का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में रिट याचिका सं०-W.P.(S) No.2685/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 27.03.2019 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह पर अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त करते हुए उन्हें संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करवाते हुए द्वितीय कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 27.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध **संकल्प सं०-1940, दिनांक 27.02.2012 द्वारा निर्गत दण्डादेश को रद्द किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 622 -- 50